रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—16 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—16

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 27] नई दिल्ली, सोमवार, मई 9, 2016/ वैशाख 19, 1938 (शक)
No. 27] NEW DELHI, MONDAY, MAY 9, 2016/VAISAKHA 19, 1938 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 9th May, 2016/*Vaisakha* 19, 1938 (*Saka*)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 6th May, 2016, and is hereby published for general information:—

THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER (AMENDMENT) ACT, 2016

NO. 24 OF 2016

[*6th May*, 2016.]

An Act further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. (*1*) This Act may be called the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2016. Short title and commencement.

(*2*) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint; and different dates may be appointed for different States and any reference in any provision to the commencement of this Act shall be construed in relation to any State as a reference to the coming into force of that provision in that State.

Amendment of Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.

2. In the Schedule to the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950,— C.O. 19.

(*a*) in Part V.—*Haryana.*—

(*i*) after entry 1, insert,—

"1A. Aheria, Aheri, Hari, Heri, Thori, Turi";

(*ii*) after entry 29, insert,—

"29A. Rai Sikh";

(*b*) in Part VIII.—*Kerala,* for entries 36 and 37, substitute—

"36. Malayan (in the areas comprising the Kannur, Kasaragode, Kozhikode and Wayanad districts)

37. Mannan, Pathiyan, Perumannan, Peruvannan, Vannan, Velan";

(*c*) in Part XIII.—*Odisha,* omit entries 8 and 49;

(*d*) in Part XIX.—*West Bengal,* for entry 60, substitute—

"60. Chain";

(*e*) in Part XXIII.—*Chhattisgarh,* for entry 25, substitute—

"25. Ghasi, Ghasia, Sais, Sahis, Sarathi, Soot-Sarathi, Thanwar".

DR. G. NARAYANA RAJU,
Secretary to the Govt. of India.

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI—2016.

GMGIPMRND—837GI(S3)—09-05-2016.

रजिस्ट्री सं० डी०—221 REGISTERED NO. D.—221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 2 — अनुभाग 1क
PART II — Section 1A
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2 नई दिल्ली, शुक्रवार, 19 अगस्त, 2016/28 श्रावण, 1938 (शक) खंड LII
No. 2 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 19, 2016/SHRAVANA 28, 1938 (SAKA) VOL. LII

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2016/28 श्रावण, 1938 (शक)

दि टेक्सटाइल अंडरटेकिंग (नेशनलाइजेशन) लॉज (अमेंडमेंट एंड वेलिडेशन) ऐक्ट, 2014; (2) दि रिपीलिंग एंड अमेंडिंग (सैकेंड) ऐक्ट 2015; (3) दि ब्लैक मनी (अनडिसक्लोज्ड फारेन इंकम एंड असेट्स) एंड इंपोजिशन ऑफ टैक्स ऐक्ट, 2015; (4) दि निगोशिएबल इन्सट्रूमेंट्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2015; (5) दि अटोमिक एनर्जी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2015; (6) दि पेमेन्ट ऑफ बोनस (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2015; (7) दि शुगर सेस (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2015; (8) दि इलेक्शन लॉज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2016; (9) दि कैरिज बाई एयर (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2016; (10) दि सिख गुरुद्वारा (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2016; (11) दि कांस्टिट्यूशन (शिडयूल्ड कास्ट्स) आर्डर (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2016; और (12) दि इंडस्ट्रीज (डेवलेपमेंट एंड रेग्युलेशन) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2016 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, August 19, 2016/Shravana 28, 1938 (Saka)

The translation in Hindi of the following, namely :— The Textile Undertaking (Nationalisation) Laws (Amendment and Validation) Act, 2014; (2) The Repealing and Amending (Second) Act, 2015; (3) The Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015; (4) The Negotiable Instruments (Amendment) Act, 2015; (5) The Atomic Energy (Amendment) Act, 2015; (6) The Payment of Bonus (Amendment) Act, 2015; (7) The Sugar Cess (Amendment) Act, 2015; (8) The Election Laws (Amendment) Act, 2016; (9) The Carriage by Air (Amendment) Act, 2016; (10) The Sikh Gurudwaras (Amendment) Act, 2016; (11) The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2016 and (12) The Industries (Development and Regulation) Amendment Act, 2016 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 36)	177
The Textile Undertaking (Nationalisation) Laws (Amendment and Validation) Act, 2014	
निरसन और संशोधन (दूसरा) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 19)	181
The Repealing and Amending (Second) Act, 2015	
काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 22)	187
The Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015	
परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 26)	219
The Negotiable Instruments (Amendment) Act, 2015	
परमाणु ऊर्जा (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2016 का अधिनियम संख्यांक 5)	221
The Atomic Energy (Amendment) Act, 2015	
बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2016 का अधिनियम संख्यांक 6)	223
The Payment of Bonus (Amendment) Act, 2015	
चीनी उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2016 का अधिनियम संख्यांक 9)	225
The Sugar Cess (Amendment) Act, 2015	
निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 10)	227
The Election Laws (Amendment) Act, 2016	
विमानवहन (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 12)	229
The Carriage by Air (Amendment) Act, 2016	
सिख गुरुद्वारा (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 21)	231
The Sikh Gurudwaras (Amendment) Act, 2016	
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 24)	233
The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2016	
उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 27)	235
The Industries (Development and Regulation) Amendment Act, 2016	

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 24)

[6 मई, 2016]

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का, किसी राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में इस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का संशोधन।

सं०आ० 19 **2.** संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची में,—

(क) भाग 5 - हरियाणा में,—

(i) प्रविष्टि 1 के पश्चात्, अंत:स्थापित करें,—

''1क. अहेरिया, अहेरी, हारी, हेरी, थोरी, तुरी'';

(ii) प्रविष्टि 29 के पश्चात्, अंत:स्थापित करें,—

''29क. राय सिख'';

(ख) भाग 8 - केरल में, प्रविष्टि 36 और प्रविष्टि 37 के स्थान पर रखें,—

''36. मलयन (कन्नूर, कासरागोड, कोझीकोड़ और वयनाड जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों में);

37. मण्णन, पथियन, पेरुमण्णन, पेरुवण्णन, वण्णन वेलन'';

(ग) भाग 13 - ओडिशा में, प्रविष्टि 8 और प्रविष्टि 49 का लोप करें;

(घ) भाग 19 - पश्चिमी बंगाल में, प्रविष्टि 60 के स्थान पर रखें—

''60. चेन'';

(ङ) भाग 23 - छत्तीसगढ़ में, प्रविष्टि 25 के स्थान पर रखें—

''25. घासी, घसिया, सईस, सहीस, सारथी, सूत-सारथी, थनवार''।